समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

(आपदा प्रबंधन शाखा)

–: आदेश :–

1. विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र सं0 1/प्रा0आ0–0–3–39/14, 15(स0 अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 19.06.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष 01 सूखा, लघु शीर्ष–105–पशु चिकित्सा, उप शीर्ष–0001–**पशुओं के लिए दवा** विपत्र कोड N2245011050001, मांग सं0 39, यूनिट कोड 31 06 में प्राप्त 0.50 (पचास हजार) रूपये को जिला पशुपालन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया को उपावंटित किया जाता है।

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन
1	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	-	50,000=00	50,000=00

कुल मो0 50,000=00 (पचास हजार) रूपये मात्र।

2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में की जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन दिया गया है, किसी भी अन्य मद में उक्त राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही किया जाय। यदि राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाती है तो अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र जिला कोषागार कार्यालय, बेतिया को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर भेजते हुए उसकी एक प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं प्रपत्र 42–ए में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बेतिया को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आँकडें के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(वित्त)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह0

(लोकेश कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 262 / आ0प्र0 । दिनांक 4.09.2014

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 15 / स0 अनु0 दिनांक 19.06.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
4/9/14